संख्या– 80 /XI(3)/17/8(01)2017

प्रेषक,

तुलसी राम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः 07 मार्च 2017

विषय– विभागान्तर्गत सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के द्वारा प्रदेश से बाहर एवं प्रदेश के भीतर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय चिकित्सा बीजकों की भुगतान की स्वीकृति एवं कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके स्तर से शासन को प्राप्त अधिकांश चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बीजकों का चिकित्सा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 4.09.2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अभिलेखों को पूर्ण किये जाने हेतु चैक लिस्ट एवं शासनादेश दिनांक 16.05.2016 में निहित प्राविधानानुसार परीक्षण नहीं किया जा रहा है। शासन को भेजे जाने वाले चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बीजकों के प्रस्ताव नियमानुसार न होने के कारण प्रस्तावों पर अंकित कमियों एवं आपत्तियों का निराकरण किये जाने के संबंध में आपको पुनः प्रत्यावर्तित किये जाते हैं। प्रश्नगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रस्तावों की कमियों का निराकरण किये जाने में आयुक्त कार्यालय स्तर से अत्यन्त विलम्ब होने के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बीजकों का भुगतान की स्वीकृति एवं कार्योत्तर अनुमति प्रदान समयबद्ध रूप से नहीं हो पा रही है। जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

2– अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का संलग्न चैक लिस्ट के आधार पर परीक्षण किये जाने के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागान्तर्गत एवं सेवानिवृत्त कार्यरत कार्मिकों के द्वारा प्रदेश से बाहर एवं प्रदेश के भीतर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय के बीजक सक्षम कार्यालय में प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्दर शासनादेश दिनांक 4.09.2006 तथा शासनादेश दिनांक 16.05.2016 में निहित व्यवस्थानुसार परीक्षण करते हुए सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किया जाय।

3– विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 4.09.2006 के प्रस्तर–2, निहित व्यवस्थानुसार समयबद्ध रूप से निम्नांकित शर्तों के आधार पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया हैः–

1– चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे रू0 40,000 तक का भुगतान कार्यालयाध्यक्ष के स्तर से 10 दिन के अन्दर किया जायेगा।

2– चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे रू0 1.00 लाख तक के प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष के स्तर से 10 दिन के अन्दर विभागाध्यक्ष को प्रेषित किये जायेंगे। विभागाध्यक्ष स्तर से प्राप्त दावे का 10 दिन के अन्दर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3– चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे रू0 2.00 लाख तक एवं रू0 2.00 लाख से अधिक की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव विभागाध्यक्ष के स्तर से 10 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4– उपर्युक्त आदेशों को तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन करने हुए अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(तुलसी राम)
अपर सचिव

संख्या– 80 /XI/(03)2017/8(01)2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
2–जिला विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
3–अधिशासी अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी, देहरादून।
4–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून।
5–मुख्य अभियन्ता, यू0 आर0 आर0 डी0 ए0।
6–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 वल्दिया)
संयुक्त सचिव

शासनादेश दिनांक 4.09.2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूति हेतु अभिलेखों को पूर्ण किये जाने के संबंध में चैक लिस्टः–

1. समस्त बिल एवं मूल वाउचर की प्रति संलग्न हो।
2. समस्त बिल/वाउचर उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा मय नाम व पदनाम की मोहर सहित सत्यापित हो।
3. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र संलग्न हो।
4. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उपचार करने वाले चिकित्सक, रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा पूर्ण विवरण संलग्न हो।
5. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर की तिथियों के ही बिल/वाउचर ही संलग्न किए जायें अन्यथा बाहर की अवधि के बिल अदेय कर दिये जायेगें।
6. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों।
7. आश्रित के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में पूर्ण रूप से आश्रित होने सम्बन्धी शपथ पत्र नोटरी किया हुआ अनिवार्य रूप से संलग्न हो।
8. आकस्मिकता की स्थिति में अराजकीय चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त करने की दशा में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उपचार करने वाले चिकित्सक एवं चिकित्सालय के प्राधिकृति चिकित्सक (चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक) के यथा स्थान नाम व पदनाम मोहर सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
9. सभी बिलों का पूर्ण ब्रेकअप (विवरण) उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
10. प्रदेश से बाहर के चिकित्सा संस्थानों में उपचार करायो जाने की दशा में शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रदेश के बाहर उपचार कराने की अनुमति अथवा उपचार कराने के बाद कार्योत्तर स्वीकृति की प्रति संलग्न की जाये।
11. चिकित्सा दावा सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत करने सम्बन्धी आवेदन पत्र की प्रति संलग्न हो।
12. निजी चिकित्सालय/प्रदेश के बाहर कराये गये उपचार के चिकित्सा दावों में राजकीय चिकित्सालयों का सन्दर्भण अथवा आकस्मिकता की स्थिति में प्राधिकृत चिकित्सालय द्वारा निर्गत आकस्मिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
13. समस्त बिलों की एक अतिरिक्त फोटो प्रति एवं डिस्चार्ज समरी मूल में संलग्न हो। इसके अतिरिक्त समस्त बिल/वाउचर का सुस्पष्ट विवरण निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराया जायः–

क्र.सं.	चिकित्सा स्थान/ मेडिकल स्टोर का नाम	दिनांक आरोही क्रम में	धनराशि रू0 में	अन्य विवरण